JALAUN POLICE

दिनांक- 18.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के अभियोग में विचारण के बाद वादी के पुत्र की हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 20,000-20,000/- रुपये(बीस-बीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण- अभियुक्तगण जमील व सुल्तान पुत्रगण सज्जाद नि0गण मुहल्ला अदल सराय कस्बा व कोतवाली कालपी जनपद जालौन द्वारा वादी नूर नवी पुत्र मुन्ने खां नि0 मुहल्ला अदल सराय कस्बा व कोतवाली कालपी जनपद जालौन के पुत्र सलीम उम्र करीब 22 वर्ष की हत्या कर देने के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 20.06.2012 को कोतवाली कालपी पर मु0अ0सं0 297/12 धारा 302 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा दिनांक 30.07.2012 को अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 16.05.2012 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 18.03.2026 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम, कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण जमील व सुल्तान उपरोक्त को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 20,000-20,000/- रूपये(बीस-बीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।